भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 75*

07 फरवरी, **2025** को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

औषधीय पौधों की खेती और उनका संवर्धन

*75. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों के फायदे और लोगों की स्वास्थ्य परिचर्या के लिए औषधीय पौधों की खेती और उनके संवर्धन के लिए कोई कार्यक्रम अथवा योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में विशेष रूप से खजुराहो लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कटनी, छतरपुर और पन्ना जिलों में औषधीय पौधों की खेती और उनके संवर्धन का कोई प्रस्ताव है या सरकार ने ऐसे कोई प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 07 फरवरी, 2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 75* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जी हां। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)-केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, अल्प अवधि औषधीय पौधों के क्षेत्र विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सहायता के पैटर्न के साथ लागत मानदंडों का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में "औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन" पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसमें निम्नलिखत गतिविधियों के लिए सहयोग किया जाता है:

(i) सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियाँ जैसे प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ/ सेमिनार/ सम्मेलन आदि।

(ii) *स्व-स्थाने* संरक्षण/*बाह्य-स्थाने* संरक्षण।

(iii) संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी)/पंचायतों/वन पंचायतों/जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी)/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ आजीविका संबंध।

(iv) अनुसंधान एवं विकास।

(v) औषधीय पौधों के उत्पादन का संवर्धन, विपणन एवं व्यापार।

(vi) औषधीय पौधों की आपूर्ति श्रृंखला में अगली और पिछली कड़ी (एकीकृत घटक) जिसके अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों को समर्थन दिया जाता है:

- खेती के लिए औषधीय पौधों की रोपण सामग्री जुटाने हेतु गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री हेतु अवसंरचना।
- किसानों को जागरूक करने के लिए सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) गतिविधियाँ।
- औषधीय पौधों की विपणन क्षमता बढ़ाने, उपज का मूल्य संवर्धन करने, लाभप्रदता बढ़ाने और घाटे को कम करने के लिए फ़ासलोपरांत प्रबंधन और विपणन हेतु अवसंरचना।
- कच्चे माल का गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन।

एनएमपीबी ने किसानों सहित हितधारकों को औषधीय पौधों के विभिन्न पहलुओं जैसे संरक्षण, खेती, फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न आईईसी गतिविधियों के लिए 153 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष सहित वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक 12.48 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। विस्तृत जानकारी **संलग्नक-II** में दी गई है।

(ग) और (घ) आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में औषधीय पौधों की खेती के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना लागू की थी। आज तक, आयुष मंत्रालय ने केंद्रीय हिस्से के रूप में 15.85 करोड़ रुपये की राशि जारी की है और वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के औषधीय पौधों के घटक के तहत मध्य प्रदेश में औषधीय पौधों की खेती के लिए 12,551 हेक्टेयर क्षेत्र, 63 फसलोपरांत प्रबंधन इकाइयों (भंडारण/गोदाम और सुखाने के शेड) और 01 ग्रामीण संग्रहण केंद्र (बाजार अवसंरचना) के लिए सहयोग किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में 61.24 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए औषधीय पौधों की खेती के लिए 93 लाभार्थियों को 0.29 करोड़ रुपये की राशि की सहायता प्रदान की है। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत समर्थित गतिविधियों का विवरण **संलग्नक-III** में है।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2024-25 के दौरान औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में आईईसी गतिविधियों के तहत 08 परियोजनाओं का समर्थन किया था। 08 परियोजनाओं में से, "औषधीय पौधों की उत्तम कृषि पद्धतियों (जीएपी), उत्तम क्षेत्र संग्रहण पद्धतियों (जीएफ़सीपी), उत्तम भंडारण पद्धतियों (जीएसपी) और औषधीय पौधों के उत्पादन के लिए स्वैच्छिक प्रमाणन योजना (वीसीएसएमपीपी) के लिए क्षमता निर्माण", नामक एक परियोजना के लिए 0.49 करोड़ रुपये की राशि राज्य औषधीय पादप बोर्ड, मध्य प्रदेश को दी गई, जिसके तहत मध्य प्रदेश के **पन्ना, कटनी और छतरपुर** जिलों सहित सभी 52 जिलों में प्रशिक्षण सह प्रदर्शन(एक्सपोजर) कार्यक्रम चलाया गया। ब्यौरे **संलग्नक-IV** में दिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान **पन्ना और कटनी** में प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन सुविधाएं बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज (टी एंड डी) सहकारी संघ लिमिटेड, भोपाल को 0.30 करोड़ रुपये की लागत से "प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति ढलन चौकी, जिला लघु वनोपज संघ उत्तर पन्ना के गोदाम और मूल्य संवर्धन" नामक परियोजना को भी सहायता दी गई थी।

***

संलग्नक-I

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना के अंतर्गत सहायता के पैटर्न के साथ लागत मानदंडों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	**घटक का नाम**	**लागत मानदंड**	**सहायता का पैटर्न**
1.	औषधीय पौधे (मुलेठी, शतावरी, कलिहारी, श्वेत मुसली, गुग्गल, मंजिष्ठा, कुटकी,अतीस, जटामांसी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, तुलसी, विदारीकंद, पिप्पली, चिराता, पुष्करमूल आदि)	रु. 1,50,000/ प्रति हेक्टेयर	एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम)/ एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) आदि के लिए रोपण सामग्री और सामग्री की लागत पर व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य क्षेत्रों में 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए आनुपातिक आधार पर 40% की दर से सहायता 60:40 की 2 किस्तों में दी जाएगी। पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, जीवंत गांवों, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूहों के मामले में, 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए आनुपातिक आधार पर 50% की दर से सहायता दी जाएगी।

संलग्नक-II

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 और चालू वित्तीय वर्ष के लिए सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) गतिविधियों के लिए देश भर में विभिन्न संगठनों को औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के ब्यौरे।

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान और निकोबार	0	0.00
2	आंध्र प्रदेश	5	0.42
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0.14
4	असम	9	1.41
5	बिहार	0	0.00
6	चंडीगढ़	0	0.00
7	छत्तीसगढ़	1	0.30
8	दादरा और नागर हवेली	0	0.00
9	दिल्ली	19	1.54
10	गुजरात	1	0.17
11	हरियाणा	4	0.14
12	हिमाचल प्रदेश	2	0.25
13	जम्मू-कश्मीर	5	0.42
14	झारखंड	3	0.12
15	कर्नाटक	10	1.39
16	केरल	6	0.31
17	लद्दाख	4	0.20
18	मध्य प्रदेश	8	0.72
19	महाराष्ट्र	9	0.73
20	मणिपुर	2	0.17
21	मेघालय	1	0.02
22	मिजोरम	1	0.05
23	नागालैंड	0	0.00
24	ओडिशा	10	0.28
25	पंजाब	5	0.35
26	पुदुचेरी	0	0.00
27	राजस्थान	4	0.28
28	सिक्किम	0	0.00
29	तमिलनाडु	22	1.01
30	तेलंगाना	1	0.10
31	त्रिपुरा	0	0.00
32	उत्तर प्रदेश	8	0.88
33	उत्तराखंड	5	0.40
34	पश्चिम बंगाल	7	0.68
	कुल	**153**	**12.48**

संलग्नक-III

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अनुमोदित गतिविधियों के ब्यौरे।

क्र.सं.	गतिविधियाँ	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1	औषधीय पौधों की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर में क्षेत्र)	1681	2518	2030	1262	790	4270	**12551**
2	फसलोपरांत प्रबंधन इकाइयों की संख्या (संख्या में)	0	0	14	0	40	9	**63**
3	ग्रामीण संग्रहण केन्द्र (संख्या में)	0	0	0	1	0	0	**1**
4.	जारी की गई धनराशि (केन्द्रीय हिस्सा) (करोड़ रुपए में)	2.76	2.98	2.70	2.01	3.10	2.30	**15.85**

संलग्नक-IV

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 और चालू वित्तीय वर्ष तक मध्य प्रदेश में विभिन्न संगठनों को सीएसएस योजना की सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) गतिविधियों के तहत समर्थित परियोजना।

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	**वर्ष**	**परियोजना का शीर्षक**	**संगठन**	**कुल स्वीकृत राशि**
1	2024-25	औषधीय पौधों पर दो दिवसीय "क्रेता-विक्रेता सम्मेलन"	कृषि संकाय, मेडी - कैप्स विश्वविद्यालय, एबी रोड, पिगडम्बर, राऊ, इंदौर, मध्य प्रदेश	0.02
2	2022-23	औषधीय पौधों के जीएपी, जीएफसीपी, जीएसपी और वीसीएसएमपीपी के लिए क्षमता निर्माण	राज्य औषधीय पादप बोर्ड, भोपाल, मध्य प्रदेश	0.49
3	2022-23	एएसयूएंडएच औषधियों के लिए औषधि खोज और विकास रणनीतियों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी: चुनौतियां और भविष्य का परिप्रेक्ष्य।	क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, आमखोह, ग्वालियर	0.05
4	2022-23	औषधीय पौधों की उपलब्धता, निरंतरता, प्रसंस्करण मुद्दे, विपणन बुद्धिमत्ता और संबंधों पर राष्ट्रीय कार्यशाला।	उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, मध्य प्रदेश	0.05
5	2021-22	आजीविका संवर्धन के लिए औषधीय पौधों की खेती में सुधार, संरक्षण और सतत उपयोग।	पीआई: मानव सेवा कल्याण संस्थान , 289, गंगा नगर, देवास जिला देवास, मध्य प्रदेश	0.02
6	2021-22	आजीविका संवर्धन के लिए औषधीय पौधों की खेती में सुधार, संरक्षण और सतत उपयोग।	पीआई: गोपाल महिला मंडल कृषि मंडी के सामने, खुजनेर रोड, राजगढ़ ।	0.02
7	2021-22	“औषधीय पौधों के लक्षण-वर्णन एवं वर्गीकरण तथा संबद्ध एमआईएस विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला”	आयुक्त, आयुष निदेशालय, एसएमपीबी, भोपाल, मध्य प्रदेश।	0.05
8	2021-22	मध्य प्रदेश के लिए एक दिवसीय क्षमता निर्माण	आयुक्त, आयुष निदेशालय, एसएमपीबी, भोपाल, मध्य प्रदेश	0.02
कुल				**0.72**